

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 80 /2019

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
राजस्थान सरकार	जरिये	1.सुगनीदेवी पत्नि हरीगाराम
तहसीलदार समदड़ी		2.भाणीदेवी पत्नि साजनराम
		3.केलीदेवी पत्नि मछाराम
		4.नोजीदेवी पत्नि मानाराम
		5.कमलादेवी पत्नि हेमाराम
		जति विश्नोई निवासी फुलण
		तहसील समदड़ी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदड़ी प्रार्थी की ओर से।


2. एकतरफा-विप्राथीगण

आदेश

दिनांक-

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्स्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 262 खसरा




उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संख्या 330/164 रकबा 31-00 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में खसरा संख्या 164/11,164/15 ,164/16,164/17 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटढा नक्शों में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा लटढा नक्शे में दर्ज खसरा संख्या 164/11,164/15 ,164/16,164/17 के स्थान पर जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 330/164 लटढा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीली श्रेणी में प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। .

3.प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 262 खसरा संख्या 330/164 रकबा 31-00 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में खसरा संख्या 330/164 दर्ज न होकर खसरा संख्या 164/11,164/15,164/11 , 164/17 दर्ज है, जो अशुद्ध दर्ज हो रखे है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा लटढा में एकरूपता नहीं है। इस कारण नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 164/11,164/15 ,164/16,164/17 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 330/164 दर्ज किया जावे। रिकार्ड दुरुस्ती करने से मौके की स्थिति में




उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (साडमेर)

कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 164/11,164/15 ,164/16,164/17 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 330/164 दर्ज करने का आदेश फरमावे।

5. हमने प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 330/164 रकबा 31-00 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 330/164 दर्ज न होकर खसरा संख्या 164/11,164/15 ,164/16,164/17 अंकित है। इस प्रकार उक्त भूमि के जमाबंदी एवं लटढा नक्शा में एक समान खसरा नम्बर दर्ज नहीं है। और राजस्व रिकार्ड में एकरूपता भी नहीं है। एवं हितबद्ध काश्तकार के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता होना भी जरूरी है। ताकि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता बनी रहें। इस कारण उक्त भूमि के नक्शा लटढा में अंकित खसरा संख्या 164/11,164/15 ,164/16,164/17 विलोपित करते हुए जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 330/164 नक्शा लटढा में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, एवं ऐसा किये जाने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवं तहसीलदार समदड़ी में भी नक्शा लटढा में दुरुस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई है। व विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जायें

की मौन स्वीकृति है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि आवेदित प्रकरण के नक्शा




उपबण्ड अधिकारी
सिबाना (बाउमेर)

लटढल डें खसरा संख्या 330/164 दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।


ऐसी सूरत डें प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राज्यहित की भावना से स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण पटवार क्षेत्र सावरंडा तहसील समदड़ी के नक्शा लटढल डें दर्ज खसरा संख्या 164/11,164/15,164/16,164/17 विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) डें अंकित खसरा संख्या 330/164 नक्शा लटढल डें दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाना है,कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा लटढल) डें अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार समदड़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 26.08.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाडमेर)

